Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 TH IN THE COURT OF	IE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
Case No191/17	omplaint or report madeon
Name and address of the Complainant	7788
Name , parentage,caste a	
सतीय रामअभात यस मुख रामअ-	11 A 0 3 900101C
The offence, complainant of, and	date of, its alleged commission
न्यायालय के संज्ञान में आता है।	के चलाया और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
The plea of the accused and	Judicial Magistrate First Claring History Charles (M.P.)
अपराध स्वेच्छ्या स्वीकार है।	
Thugh	Judicial Management Policy Class Gohad dispublished N.F.
The offence proved, if any and in case under clasue, value of the property in respect of which the offence	d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the has been committed.

## //निर्णय// (आज दिनांक 23.69 17 को घोषित)

01 आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की
धारा , 128/177 My. ACT के तहत
दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02 दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई
पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी स्तिश्राश्यमगाठी उग्र हुखराम भगता प्रिन अमिनगर
को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128/177 10 4 के
तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमषः राशि रूपये
कुल स्डिसी राज्य का ( 1507 ) के
अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
अर्थदण्ड सदाय में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को। तिवस की
विधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
4 जप्तेषुदा सम्पत्ति वाहन क्रo mpo7mR o172 को
सके पंजीकत स्वामी को ह्यौरामा जाते।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class
Genandistriblind (M.R.)